

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 1990

सं० सा० का० नि०/संवि०/अनु० 44309/90.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा वास्तुक विभाग (वर्ग-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1990 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।
2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।
 - (क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण; बोर्ड, हरियाणा
 - (ख) "मुख्य वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का मुख्य वास्तुक ;
 - (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार।
 - (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है" —
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा
 - (ii) सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;
 - (च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ;
 - (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम-स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वास्तुकला विभाग में (वर्ग-ग) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारी पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये
गये उम्मीदवारों की
राष्ट्रिकता, अधिवास
तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र और दो ऐसे अन्य

जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां मुख्य वास्तुक द्वारा की जायेंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना-4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप के विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या उन के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति :— निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :—

(क) अधीक्षक की दशा में :—

भर्ती का ढंग।

(i) सहायकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के पदों में से पवोन्नति द्वारा ;
या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ख) सहायक की दशा में :—

(i) आशुटंककों या लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में कार्यरत किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ग) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में :—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(घ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में :—

(i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ) आशुटंककों की दशा में :—

(i) लिपिकों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) लिपिकों की दशा में :—

(i) डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, रैस्टोरर या ग्रुप-घ के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) चालक की दशा में :—

(i) डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, रैस्टोरर या ग्रुप-घ के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में कार्यरत किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर की दशा में :—

(i) दफ्तरी या जमादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(झ) रैस्टोरर की दशा में :—

(i) दफ्तरी या जमादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता, ऐसी पदोन्नतियों के लिये किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा ।

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या अच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो यह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों के अनुसार हो ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया है, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार हो ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है तो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता पृथक् रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड, या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण जैसी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही लिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नतियां स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की स्थिति में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी । अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले ही रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उनके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रति-नियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम, या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केंद्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय वाले वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केंद्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए गये या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन,
शास्तियां तथा
अपील ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ; ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों में अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है ।

टीका
लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की
शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य को जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की
शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, यहां यह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति विशेष उपबंध तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में समथ समथ पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अल्प विकासांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के विसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा शिथिलों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पञ्चास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किया जा सकता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या ची गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी ।

निरसन तथा
व्यावृत्ति ।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रमांक	पद संज्ञा	पदों की संख्या		जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
					रुपये
1	अधीक्षक	2	..	2	2000--60--2300--75-- 2900--द०रो०--100--3500
2	सहायक	11	..	11	1400--40--1600--50-- 2300--द०रो०--60--2600
3	वरिष्ठ वेतनमान आशु- लिपिक	1	..	1	1400--40--1600--50-- 2300--द०रो०--60--2600
4	चालक	2	..	2	1200--30--1560-- द०रो०--40--2040+200 रुपये विशेष वेतन
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4	..	4	1200--30--1560-- द० रो०--40--2040
6	आशुटकक	7	..	7	950--20--1150--द० रो० 25--1500 + 100 रुपये विशेष वेतन
7	लिपिक	11	..	11	950--20--1150-- द० रो०--25--1500
8	डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर	1	..	1	950--20--1150-- द० रो०--25--1500
9	रैस्टोरर	1	..	1	950-20--1150-- द०रो०--25--1500

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम)

क्रमिक पद संज्ञा

सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव; सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।

यदि कोई हो

1 अधीक्षक

सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के तौर पर 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें सहायक के तौर पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के मामले में 2 वर्ष का अनुभव।

2 सहायक

आशुतिक : यालिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

3 वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक

1. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

2. 120 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी लेखन तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा पास की हो।

अथवा

3. 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलेखन और 20 शब्द प्रतिमिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा पास की हो।

क्रमिक

पद रंजित

सि. धी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो

सि. धी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।

यदि कोई हो

4 बालक

1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।
2. हल्के वाहनों को चलाने के लिये बालक लाइसेंस प्राप्त हो और साथ में ड्रिलीकेटिंग मशीन अप्रेटर, रैटोरर, या ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।

5 बनिष्ठ वेतनमान आशु लिपिक

1. आशु टंकक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।
2. 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशु लिपिक लेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसकी प्रतिलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशु-लेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास की हो।

6 आशु टंकक

1. मैट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष।

1 2

3

4

2. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशु-लेखन और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।
3. 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशु-लेखन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में परीक्षा पास ।
- अथवा
3. 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशु-लेखन और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।
4. 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशु-लेखन और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।
- 7 लिपिक
1. मॉट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष ।
2. अपनी भर्ती के एक वर्ष के अंदर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उसे कोई बेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी । जब वह टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो उसे टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से देय बेतन वृद्धियाँ दी जाएंगी किन्तु कोई वकाया उसे नहीं दिया जायेगा ।
1. मॉट्रिक हिन्दी सहित अथवा उसके समकक्ष ।
2. रेस्टोरर, डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर अथवा वर्ग "घ" कर्मचारी के तौर पर 5 वर्ष का अनुभव ।

3

4

1. मैट्रिक हिन्दी सहित या उसके समकक्ष और साथ में दफ्तरी/जमादार के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।
2. मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त हो तो दफ्तरी या जमादार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ।
1. मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष और साथ में दफ्तरी/जमादार के तौर पर एक वर्ष का अनुभव ।
2. मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त हो तो दफ्तरी/जमादार के तौर पर 3 वर्ष का अनुभव ।

1
2

8 डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर

9 रैस्टोर

क्रमांक	पद संज्ञा	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षक	मुख्य वास्तुक	1 छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर रखते हुए चेतावनी । (ii) परिनिन्दा । (iii) पदोन्नति रोकना । (iv) उपेक्षा या आदेशों की उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या	मुख्य वास्तुक	सरकार
2	सहायक				
3	वरिष्ठ वेतनमान में आशुलिपिक				
4	चालक				
5	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				

1	2	3	4	5	6
6 स्टैनो-टाईपिस्ट	अधिकांश स्वाभित्त्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली	3	4	5	6
7 लिपिक					
8 ड्युप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर					
9 रेस्टोरर					
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना		
			2—बड़ी शास्तियां		
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं।		

1

2

3

4

5

6

(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड पद या सेवा पर, जिससे अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा।

(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन नियोजन के लिये निरहता नहीं होगी।

(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहता होगी।

परिशिष्ट घ

[(देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पद संज्ञा	आदेश का नाम	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	अधीक्षक			
2	सहायक			
3	वरिष्ठ वेतनमान में आशुलिपिक			
4	चालक			
5	कनिष्ठ वेतनमान में आशुलिपिक			
6	स्टैनो टाईपिस्ट			
7	लिपिक			
8	डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर			
9	रेस्टोरर			
		(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना	मुख्य वास्तुक	सरकार
		(ii) सेवा में किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने के अथवा नियुक्ति की समाप्ति		

त्रिलोचन सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 1990

No. G.S.R.44/Const./Art.309/90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Architecture Department (Group C) Service, namely:—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Architecture Department (Group C) Service Rules, 1990. Short title e.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, — Definitions.

(a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana ;

(b) "Chief Architect" means the Chief Architect of the Department of Architecture, Haryana ;

(c) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India ; or any State Government ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "Institution" means;—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised university" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Decca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purposes of these rules;

(g) "service" means Haryana Architecture Department (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is,—

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who come over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, The United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of August next preceding the last date of submission of applications to the Board or any other recruiting Authority.

Age.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Chief Architect.

Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment:

Qualifications.

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Superintendent—

Method of recruitment.

(i) by promotion amongst Assistants of Senior Scale Stenographers; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Assistants—

(i) by promotion amongst Steno-Typist or Clerk; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (c) in the case of Senior Scale Stenographers,—
- (i) by promotion amongst Junior Scale Stenographer; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India;
- (d) in the case of Drivers,—
- (i) 20% by promotion amongst Duplicating Machine Operator, Restorer or Group-D employees; and
 - (ii) 80% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (e) in the case of Junior Scale Stenographers,—
- (i) by promotion amongst Steno-typist; or
 - (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government of the Government of India;
- (f) in the case of Steno-typist,—
- (i) 20% by promotion amongst Clerks; and
 - (ii) 80% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India;
- (g) in the case of Clerks,—
- (i) 20% by promotion amongst Restorar or Duplicating Machine Operator or Group D employees; and
 - (ii) 80% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (h) in the case of Duplicating Machine Operator,—
- (i) by promotion amongst Daftri or Jamadar; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(i) in case of Restorer,—

(i) by promotion amongst Daftri or Jamadar; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-fitness/merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Probation.

Provided that,—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) Any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed, period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows: —

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same then by the length of their service in the appointment and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation of a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Pay, leave pension and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time : Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by the special or general order. Vaccination.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of posts	Number of posts				Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total		
1	2	3	4	5	6	
1	Superintendent	2	—	2	Rs. 2000—60—2300—EB—75—3200+ 100—3500	
2	Assistant	11	—	11	Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB 60—2600	
3	Senior Scale Stenographer	1	—	1	Rs. 1400—40—1600—50—2300—EB 60—2600	
4	Driver	2	—	2	Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040+ 200 Special Pay	
5	Junior Scale Stenographer	4	—	4	Rs. 1200—30—1560—EB—40—2040	
6	Steno-typist	7	—	7	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500+ 100 Special Pay	
7	Clerk	11	—	11	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500	
8	Duplicating Machine Operator	1	—	1	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500	
9	Restorer	1	—	1	Rs. 950—20—1150—EB—25—1500	

APPENDIX B
[See rule 7]

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Superintendent	—	Ten years experience as Assistant/Senior Scale Stenographer out of which two years experience as Assistant in case of Senior Scale Stenographer.
2	Assistant	—	Three years experience as Steno-typist or Clerk.
3	Senior Scale Stenographer	—	(1) Three years experience as Junior Scales Stenographer. (2) Qualifies test in English shorthand at the speed of 120 words per minute and transcription thereof 25 words per minute
			or
			Stand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof 20 words per minute.

1	2	3	4
4	Driver	(1) Matriculation or its equivalent (2) Possesses driving licence to drive light vehicles with three years experience.	(1) Matriculation or its equivalent (2) Possesses driving licence to drive light vehicles, with three years experience as Duplicating Machine Operator, Restorer or as Group D employee.
5	Junior Scale Steno-grapher		(1) Two years experience as Steno-typist (2) Qualifies test in English shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof 15 words per minute.
6	Steno-typist	(1) Matriculation or its equivalent with Hindi. (2) English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute.	(3) Qualifies test in Hindi Shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute. or (1) Matriculation or its equivalent with Hindi. (2) Two years experience as Clerk. (3) Qualifies test in English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof 15 words per minute.

1

2

3

4

OR

(3) Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof 11 words per minute.

7 Clerk

(1) Matriculation or its equivalent with Hindi.

(2) shall have to qualify Hindi type test at a speed of 25 words per minute or English type test at a speed of 30 words per minute within one year of recruitment otherwise he will not be given any increment. When he qualifies the type test, he will be allowed increments due to him from the date of qualifying the type test but no arrear will be given to him.

8 Duplicating Machine
Operator

9 Restorer

OR

(4) Qualifies test in Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof 11 words per minute.

(1) Matriculation or its equivalent.

(2) Five years experience as Restorer or Duplicating Machine Operator or as Group D employee.

Under Matric with three years experience as Daftri or Jamadar.

(1) Matriculation or its equivalent with one year experience as Daftri or Jamadar.

(2) Under Matric with three years experience as Daftri or Jamadar.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial Number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1	Superintendent		(1) Minor penalties		
2	Assistant		(i) warning with a copy in the personal file (Character roll);		
3	Senior Scale Stenographer		(ii) censure;		
4	Driver		(iii) withholding of promotion;		
5	Junior Scale Stenographer		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government	Chief Architect	Government
6	Steno-typist	Chief Architect			
7	Clerk				
8	Duplicating Machine Operator				
9	Restorer				

1

2

3

4

5

6

or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and

(v) withholding of increments of pay.

(2) Major penalties

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale

1

2

3

4

5

6

of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(viii) compulsory retirement ;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D
[See Rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional/pension admissible under the rules governing pension;	Chief Architect	Government
2	Assistant			
3	Senior Scale Stenographer	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		
4	Driver			
5	Junior Scale Stenographer			
6	Steno-typist			
7	Clerk			
8	Duplicating Machine Operator			
9	Restorer			

TIRLOCHAN SINGH,
Financial Commissioner and Secretary
to Government, Haryana, Architecture Department,
Chandigarh.